

कानपुर जोन के अन्तर्गत खोले गये सामान्य पंजीकरण का पात्रता चयन

स्थल : कार्यालय उप आवास आयुक्त
(कानपुर जोन) आफिस काम्पलेक्स
(भू-तल) केशवपुरम्, कल्यानपुर, कानपुर

तिथि
17-02-2015
समय
पूर्वाह्न 11:00 बजे

परिषद की केशवपुरम् योजना संख्या-1 कानपुर, अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या- 3 (फेज-2), कानपुर एवं हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर में दिनांक 06.02.2014 से दिनांक 07.05.2014 तक खोले गये सेमी फिनिशड भवन हेतु क्रमशः 45/72 प्रकार के अल्प आय वर्ग - (09 नग), 45/75 प्रकार के अल्प आय वर्ग - (38 नग), 29/60 प्रकार के अल्प आय वर्ग - (70 नग), 42/108 प्रकार के मध्यम आय वर्ग - (20 नग), 63/162 प्रकार के उच्च आय वर्ग - (69 नग) एवं 128/200 प्रकार के उच्च आय वर्ग - (59 नग) श्रेणी के सामान्य पंजीकरणों का शासनादेश/परिषद नियमानुसार आरक्षण निर्धारित करते हुए दिनांक 17.02.2015 को पात्रता चयन किया जायेगा। आवेदकों की सूची परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गयी है। जिन आवेदकों को यदि कोई आपत्ति हो तो जमा चालान की छाया प्रति रसीद के साथ अपना आपत्ति आवेदन पत्र सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में दिनांक 13.02.2015 तक जमा कर दें। उपरोक्त तिथि के पश्चात् किसी भी आपत्ति/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित भवनों व पंजीकृत आवेदकों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

आवास आयुक्त

हेल्पलाइन नं० : 1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803

IS 15700:2005



सेवाएँ प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: <http://www.upavp.org> E-mail: info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700

